भाग-संख्या—9 (क—1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—डब्लू०/एन०पी०—91/2011—13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 15 जनवरी, 2011

पौष 25, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग—14

संख्या 2198/एक-14—2010-33(100)-2010 टी०सी०-III

लखनऊ, 15 जनवरी, 2011

अधिसूचना

प०आ०—33

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अध्यादेश, 2011 (उ०प्र० अध्यादेश संख्या 1 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और ऐसी सेवाओं के लिए तथा प्रथम अपील के निस्तारण के लिए नियत समय-सीमाएं तात्कालिक प्रभाव से अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्व	जाति प्रमाण-[illegible]	तहसीलदार	20 कार्य [illegible]	उप [illegible]	30 कार्य [illegible]	जिलाधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	8
		आय प्रमाण-पत्र	तहसीलदार	20 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		निवास प्रमाण-पत्र	उप जिलाधिकारी	20 कार्य दिवस	जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	जिलाधिकारी